सं०सं०–1/अ०ना०म०मे०कॉ०अ०–03/2018– 46(1)स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
गया।

पटना, दिनांक– 25/9/2018

विषयः– **अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड–20–2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू० 13,93,45,000/– (रुपये तेरह करोड़ तिरानवे लाख पैंतालिस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के पत्रांक–3425, दिनांक–01.09.2018 के आलोक में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया को विपत्र कोड–20–2210011100006 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 13,93,45,000/– (रुपये तेरह करोड़ तिरानवे लाख पैंतालिस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सह–पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0006–मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड–20–2210011100006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क्रमशः

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटनादेश द्वारा 0006.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24/9/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/अ0ना0म0मे0कॉ0अ0–03/2018– 461(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 25/ 9 /2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/18

सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड–20–2210011100006 को वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0006.01.01 वेतन	243000000	182250000	60750000	243000000	0
0006.01.03 जीवन यापन भत्ता	27000000	20250000	6750000	27000000	0
0006.01.04 मकान किराया भत्ता	21835000	16376250	5458750	21835000	0
0006.01.05 परिवहन भत्ता	5222000	3916500	1305500	5222000	0
0006.01.06 चिकित्सा भत्ता	5136000	3852000	1284000	5136000	0
0006.01.07 अन्य भत्ता	5487000	4115250	1371750	5487000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**307680000**	**230760000**	**76920000**	**307680000**	**0**
0006.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	900000	450000	450000	900000	0
0006.11.01 यात्रा व्यय	150000	75000	75000	150000	0
0006.13.01 कार्यालय व्यय	5000000	2500000	2500000	5000000	0
0006.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	500000	250000	250000	500000	0
0006.13.03 दूरभाष	150000	75000	75000	150000	0
0006.13.04 विद्युत प्रभार	7200000	7200000	0	7200000	0
0006.13.05 विधि प्रभार	100000	100000	0	100000	0
0006.13.06 वर्दी/पोशाक	600000	300000	300000	600000	0
0006.14.01 किराया महसूल एवं कर	700000	700000	0	700000	0
0006.20.03 प्रशिक्षण व्यय	50000	25000	25000	50000	0
0006.21.01 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0006.21.02 दवा भण्डार	50000000	37500000	12500000	50000000	0
0006.21.03 आहार/पथ्य	15000000	11250000	3750000	15000000	0
0006.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	7414000	0	7414000	2586000
0006.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाऐं	0	0	0	0	0
0006.28.02 संविदा सेवायें	110000000	82500000	27500000	110000000	0
0006.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	15000000	15000000	0	15000000	0
0006.52.01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय	20000000	10000000	10000000	20000000	0
कुल योगः–	**553030000**	**411099000**	**139345000**	**550444000**	**2586000**

(रुपये तेरह करोड़ तिरानवे लाख पैंतालिस हजार)

46(1) वि०
25-9-18

सरकार के विशेष सचिव